पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक– /2015 निगरानी 1431-PBR-15

श्री विनोद ... द्वारा आज दि. 9-6-15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्रीमती प्रीती जैन पत्नी श्री अजीत कुमार गोयल, जाति जैन, निवासी–हाट रोड, गुना जिला गुना (म.प्र.) ——आवेदिका

बनाम

1. श्रीमती पूर्णिमा पारिख पत्नी श्री राजीव पारिख, निवासी–किला घाटी रोड, राधौगढ़ जिला गुना
2. केशरी सिंह पुत्र कनीराम राजपूत, निवासी–खिरिया भरसूला, तहसील राधौगढ़, जिला गुना (म.प्र.) ———अनावेदकगण

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 09-06-2015

<u>न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, राधौगढ़ जिला गुना म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक–58/अपील/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25/04/2015 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।</u>

माननीय महोदय,

आवेदिका का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य–</u>

1. यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक–28 रकवा 0.156 हैक्टेयर स्थित ग्राम खिरिया भरसूला तहसील राधौगढ़ा जिला गुना का भूमि स्वामी अनावेदक क्रमांक–1 केशरी सिंह पुत्र कनीराम था।
2. यह कि, उपर्युक्त सर्वे नंबर में से आवेदिका ने रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा रकवा 0.078 हैक्टेयर भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। तद्नुसार प्रकरण क्रमांक–53/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 13/12/2013 द्वारा राजस्व अभिलेख में आवेदिका के नाम नामांतरण हो गया था।

RD SHARMA(H)

प्रीति जैन / प्रति[illegible]
रि. 1431-अपील/15 गुना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्ष
10.6.2015	आवेदिका की ओर से श्री आर० डी० शर्मा अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया, जिसके विरुद्ध अपील होना चाहिये थी परन्तु इस ~~निगरानी~~ न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है। इस सम्बन्ध में उनका निवेदन है कि सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु वापिस की जावे। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण वापिस किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर) मूल दस्तावेज सहित वापिस प्राप्त (हस्ताक्षर) 12-6-